कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा

(जिला एवं सैशन न्यायालय, बालोतरा)

(हैल्पलाईन नं: 8306002103; फोनः 0298—8294119; ई—मेल आई.डी.: dlsa3balotra@gmail.com)

क्रमांकः जि.वि.से.प्रा.बालोतरा / PLV—विज्ञप्ति / 2024 / 01 दिनांकः 09.04.2024

विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक F-2()/रालसा/ पीएलवी / DS-I / 26252 दिनांक 16.09.2019 एवं 33022—33057 दिनांक 12.10.2020 एवं एफ 2()पीएलवी / डीएस—1 / रालसा / 2023 / 20690—20734 दिनांक 17.01.2024 के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय, बाड़मेर, प्राधिकरण मुख्यालय बालोतरा व जिले की चयनित पंचायत समिति स्तर पर तय की गई निर्धारित संख्या मे पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स (PLV) का चयन कर पैनलित करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन निम्नानुसार आमंत्रित किए जाते हैं:—

क्र. सं.	संबंधित प्राधिकरण / तालुका समिति का नाम	पंचायत समिति का नाम, जिसके लिए आवेदन किया जाना है।	पी0एल0वी0 के पदों की संख्या
1	जिला मुख्यालय बाड़मेर (तालुका विधिक सेवा समिति, बाड़मेर)	बाड़मेर	03
		धोरीमन्ना	03
		शिव	03
		चौहटन	03
2	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा	बालोतरा	03
		सिणधरी	03
		आडेल	03
		पायलां कलां	03
		बायतु	03
		सिवाना	03
		कुल	**30**

1. **शैक्षणिक योग्यताः** आवेदक का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की अच्छी व व्यापक जानकारी होनी चाहिए।
2. **आवेदन पत्रः** इस पद हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।
3. **परीक्षाः** आवेदकों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जायेगा तथा साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नियमानुसार प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने पर उन्हें सफल घोषित किया जायेगा तथा सफल घोषित किये जाने के पश्चात् उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पहचान पत्र दिया जायेगा।
4. **चरित्रः** आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के संबंधी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
5. **शारीरिक योग्यताः** आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होने चाहिए।
6. **आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जावें:**

- जन्मतिथि प्रमाण हेतु सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
- शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।
- दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
- आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चिपकाएं (स्टेपल नहीं करें)

- जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
- आवेदक द्वारा जिस पंचायत समिति के लिये आवेदन किया जा रहा है, तो उस पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार आने वाले गांव का स्थानीय निवासरत होने का सत्यापन के संबंध में आधार कार्ड/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/मूल निवास या अन्य कोई समकक्ष प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।
- किसी प्रकार का कोई मुकदमा लंबित नहीं होने का स्व-प्रमाणित शपथ-पत्र।
- यदि आवेदक सेवानिवृत्त अध्यापक या राजकीय कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक/एम0एस0 डब्ल्यू0 छात्र/छात्रा व अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/डॉक्टर/फिजिशियन/छात्र/ छात्रा व विधि छात्र/छात्रा (जब तक वकालत के लिए एनरोल न हों)/गैर राजनीतिक दलों के सदस्य/सेवाभावी एन0जी0ओ0, क्लब्स, महिला ग्रुप, मैत्री संगम स्वयं सहायता समूह से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।

7. **<u>आवेदन की अंतिम तिथि</u>:** आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा (न्यायालय परिसर) के कार्यालय में **दिनांक 18.04.2024 को दोपहर 01.00** बजे तक ही प्राप्त किये जायेंगे। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
8. **<u>पात्रता</u>:** पी0एल0वी0 का चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उन्हें शॉर्ट लिस्टिंग कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। यदि स्थानीय निवासी ना मिले तो ही पडौस की पंचायत समिति के निवासी पर विचार किया जायेगा। निवास स्थान का सत्यापन आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि के अवलोकन पश्चात् किया जायेगा। निम्नांकित व्यक्ति भी पी0एल0वी0 हेतु आवेदन कर सकते हैं:-
   - शिक्षक (सेवानिवृत शिक्षक सहित)
   - सेवानिवृत सरकारी सेवक तथा वरिष्ठ नागरिक
   - समाज कल्याण में परास्नातक स्तर के विद्यार्थी तथा शिक्षक
   - आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
   - चिकित्सक
   - विद्यार्थी तथा कानून के विद्यार्थी (अधिवक्ता के रूप में नामांकन से पूर्व)
   - गैर-राजनीतिक संस्था के सदस्य जो सेवा भावना से चलने वाले गैर सरकारी संस्था तथा क्लब के सदस्य।
   - अस्थानीय महिला सदस्य मंडल के सदस्य तथ स्वंय सहायता समूह के सदस्य।
   - अच्छा व्यवहार वाला लंबी सजायाफ्ता कैदी।
   - कोई अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा समिति पैरा लीगल वॉलिन्यटर्स के रूप में कार्य के लिए उचित समझती है।

नोटः- यह आवेदन केवल जिला बाड़मेर व बालोतरा के लिए ही मान्य होगें अन्य जिलों के प्राप्त आवेदन स्वतः निरस्त कर दिये जायेगें।

9. **<u>चयनित पी.एल.वी. के कर्त्तव्य (ड्यूटी):</u>**

   1. समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
   2. आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ताल्लुका विधिक सेवा समिति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिये निस्तारित किये जाने की जानकारी देना।
   3. पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यो पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिये दूरभाष संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित या मौखिक रूप से अवगत कराना।
   4. ज्योंहि पैरा लीगल वॉलियन्टर को अपने क्षेत्र में किसी व्यक्ति के गिरफ्तार किए जाने की सूचना मिलती है , त्योंहि उसे पुलिस थाना जाना चाहिए तथा गिरफ्तार व्यक्ति को विधिक सहायता सुनिश्चत करनी चाहिए।
   5. पैरा लीगल वॉलियन्टयर का दायित्व है कि उपराध से पीड़ितों को उचित देखभाल तथा संरक्षण मिले। पैरा लीगल वॉलियन्टर पीड़ित मुआवजा योजना (अन्तर्गत धारा 357क, अपराध प्रक्रिया संहिता) का लाभ भी पीड़ित को मिले, यह सुनिश्चित करेंगें।

6. इस संबंध में प्राधिकृत होने पर, पैरा लीगल वॉलियन्टर जेल, बंदीगृह, मानसिक चिकित्सालय, बालाश्रम, संप्रेक्षण गृह जाएगें तथा इन गृहों में रहने वाले व्यक्तियों के विधिक सहायता जरूरतों का आकलन कर अधिकारियों को बताएगें तथा साफ सफाई और मूलभुत आवश्यकताओं की कमी को दूर करना सुनिश्चित करेंगे।
7. पैरा लीगल वॉलियन्टर बाल अधिकार के किसी भी उल्लंघन, बाल श्रम, बच्चों के गायब होने अथवा बच्चियों के तस्करी की जानकारी अविलंब विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा बाल कल्याण समिति को आवश्यक रूप से देगे।
8. पैरा लीगल वॉलियन्टर जिला अथवा तालुका विधिक सेवा संस्थान की सहायता विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगें।
9. पैरा लीगल वॉलियन्टर स्थानीय लोगों को तालुका विधिक सेवा समिति /जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/ सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की गतिविधियों की जानकारी देगे। वे आम लोगों को इन संस्थानों का पता भी बताएंगे ताकि सुयोग्य व्यक्ति को इन संस्थनों से मदद मिल सकें।
10. पैरा लीगल वॉलियन्टर लोगों मे विवादों के निपटारे के लिए मुफ्त अथवा कम खर्चीले माध्यमों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। वे लोगों को जनोपयोगी सेवाओं जैसे डाक एवं तार, टेलीफोन, पानी बिजली आपूर्ति, बीमा तथा अस्पताल सेवाओं से सबंधित विवादों का निपटारा स्थायी लोक अदालत के माध्यम से करने के प्रति जागरूक करेंगें।
11. विहित प्रपत्र में पैरा लीगल वॉलियन्टर प्रत्येक माह अपनी गतिविधियों तथा कार्यो का विवरण जिला अथवा तालुका विधिक संस्थान को देगें।
12. प्रत्येक पैरा लीगल वॉलियन्टर विहित डायरी में अपनी दैनिक गतिविधियों का विवरण दर्ज करेगा। इस डायरी को मुद्रित कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पैरा लीगल वॉलियन्टर को प्रदान करेंगे। इस डायरी का पहचान तथा पृष्ठांकन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अथवा तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष करेंगे।
13. पैरा लीगल वॉलियन्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि विधिक सेवा प्रचार साहित्य तथा विधिक सेवा गतिविधियों का प्रदर्शन उनके क्षेत्र में प्रमुख जगहों पर हो।

10. **साक्षात्कारः** बाड़मेर व बालोतरा न्यायक्षेत्र हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से योग्य अभ्यर्थियों को पी. एल.वी. के साक्षात्कार की तिथि व स्थान व अन्य आदेशों, कर्त्तव्यों, नियमों की सूचना साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची सहित संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति के कार्यालय के तथा इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा इस न्यायक्षेत्र की वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov .in/india/rajasthan/barmer/recruit** पर भी उपलब्ध करवाई जायेगी। साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा।
11. **स्पष्टीकरणः** यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में पी.एल.वी. के कार्य करने हेतु इच्छुक पंचायत समिति का नाम अंकित करना आवश्यक है। आवेदक कहां पर अर्थात् किस पंचायत समिति में पी.एल.वी. के रूप में कार्य करना चाहता है, उस पंचायत समिति का नाम आवेदन पत्र में स्पष्ट अंकित करे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्थानीय पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में निवासरत आवेदक को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। यदि स्थानीय निवासी ना मिले तो ही पडौस की पंचायत समिति के निवासी के आवेदक के आवेदन पर विचार किया जायेगा। प्रशिक्षण प्राप्त पी.एल.वी. को माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा समय–समय पर दिए गए कार्ये हेतू नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पैकेज नहीं दिया जायेगा।

नोटः–

01. आवेदन प्रारूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा, तालुका विधिक सेवा समिति –बाड़मेर, सिवाना कार्यालय से प्राप्त करने के साथ ही इस न्यायक्षेत्र की वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in/india/rajasthan/barmer/recruit** से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
02. आवेदनकर्ता संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन मय आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सैशन न्यायाधीश)
बलोतरा

क्रमांकः जि.वि.से.प्रा.बालोतरा/PLV–विज्ञप्ति/2024/ 1254-77 दिनांकः 09.04.2024

विज्ञप्ति की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. श्रीमान् जिला कलेक्टर, बाड़मेर/बालोतरा
3. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर/बालोतरा
4. श्रीमान् अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, बाड़मेर/सिवाना
5. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर/बालोतरा
6. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर/बालोतरा
7. श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बाड़मेर/बालोतरा
8. कार्यालय समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला बाड़मेर/बालोतरा
9. कार्यालय समस्त तहसलीदार, जिला बाड़मेर/बालोतरा
10. कार्यालय समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला बाड़मेर/बालोतरा
11. सहायक निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाड़मेर/बालोतरा
12. सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाड़मेर/बालोतरा
13. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सैशन न्यायालय, बालोतरा (विज्ञप्ति मय प्रारूप न्यायालय की रजिस्टर्ड वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/india/rajasthan/barmer/recruit पर अपलोड करने बाबत्)

Suthar

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सैशन न्यायाधीश)
बालोतरा

पैरालीगल वॉलियन्टर्स (पी.एल.वी.) के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

अभ्यर्थी का हस्ताक्षरयुक्त नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो

1. आवेदक का नाम : ....

2. पिता/पति का नाम : ....

3. विवाहित/अविवाहित : ....
(विवाहित होने की स्थिति में पति/पत्नि का नाम लिखें)

4. जाति : ....

5. संवर्ग – सामान्य/अनुसूचित जाति/ : ....
अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग (जिस संवर्ग से संबंधित हो वह लिखें)

6. स्थाई पता मय दूरभाष/मोबाईल नम्बर : ....
/ई–मेल आई.डी. ....
....

7. वर्तमान पता : ....
....

8. स्थानीय पंचायत समिति का नाम : ....
9. पड़ोस की पंचायत समिति का नाम : ....
10. आवेदक पी.एल.वी. के रूप में जिस स्थान/
क्षेत्र में स्वेच्छा से कार्य करना चाहता है
उस पंचायत समिति का नाम : ....

11. निकटतम पुलिस स्टेशन : ....

12. जन्म तिथि (अंकों में) : ....
(शब्दों में) : ....
वर्तमान आयु(दिनांक 01.03.2024 को) : ....

13. शैक्षणिक योग्यता : ....

14. यदि आवेदक सेवानिवृत कर्मचारी है, तो किस पद से सेवानिवृत हुए : ....

15. आवेदक के विरूद्ध कोई फौजदारी प्रकरण लंबित है अथवा नहीं, यदि है तो पूर्ण विवरण : ....

16. यदि पूर्व में सामुदायिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया गया हो तो उसका संक्षिप्त विवरण (हॉ/नहीं) : ....
....

17 कम्पयूटर ज्ञान (हॉ/नहीं) : ....

(आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक)

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री.. निवासी ....सत्यापित करता/करती हूं कि आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य है तथा मैं .... पंचायत समिति. ....में स्थित पी.एल.वी. के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक हूं।

दिनांक :–

(आवेदक के हस्ताक्षर)